

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान तय्यार कर	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
						7	8	
1	बिमला गोस्वामी,	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा	चम्पावत		धारा के नाम के आगे <input checked="" type="checkbox"/> लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	महोदय दुर्गम से सुगम हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में मेरा नाम क्रम संख्या-1 पर अंकित है। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप सं० 182/02 व्यख-सा०/2024 दिनांक 07.03.2026 द्वारा मेरा स्थानान्तरण मुख्य अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा दुर्गम से दुर्गम श्रेणी के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा में हुआ है। निर्गत पात्रता सूची के अनुसार वर्तमान कार्यालय में मेरी तैनाती को 104 दिन(लगभग 3 माह से अधिक) ही हुआ है एवं मैं वरिष्ठ कार्मिक (55 वर्ष की आयु पूर्ण) हूँ। अतः शासनादेश संख्या-1/130236/XXX(2)/2023/E-33080 दिनांक 15.06.2023 के बिन्दु 4 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्मिक दुर्गम कार्यस्थल पर ही कार्य करने का इच्छुक है। अतः मुझे दुर्गम से सुगम कार्यालय हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय।
<input checked="" type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (एक)							
<input checked="" type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (दो)							
<input checked="" type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (तीन)							
<input checked="" type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (चार)							
<input checked="" type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (पांच)							
<input checked="" type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (छः)							
<input checked="" type="checkbox"/>	धारा 17(1) (ख) (सात)							

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- बिमला गोस्वामी

पदनाम- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- डी०एस० ह्यांकी,

पदनाम- मुख्य अभियन्ता